न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 30/2021 बउनवानी काशी सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी पुत्र श्री सुरजन सिंह राजपूत नि0 मच्छीपुरा तह0 गंगापुर सिटी प्र.अ.राजस्व अनुभाग **GCMS No-2021/71**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
14.7. 2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 12.2. 2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था जो अति. जिला कलेक्टर द्वारा जरिये पत्रांक 406 दिनांक 22.2.2021 को उप जिला कलेक्टर एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग को अधिनियम की धारा 6(3) के तहत प्रार्थना पत्र अन्तरित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. जिला कलेक्टर कार्यालय से उपजिला कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित निर्देश क्रमांक राजस्व/भ्र.नि0ब्ये/2020/5532 दिनांक 9.11.2020 पर श्रीमान उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा नियमानुसार की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट उपलब्ध करावे।
2. क्रमांक राजस्व/विविध/2020/2846 दिनांक 27.7.2020 पर उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा निर्देशानुसार की गयी कार्यवाही एवं श्रीमान जिला कलेक्टर को भिजवायी गयी रिपोर्ट पर की गयी कार्यवाही की जानकारी दी जावे।
3. पत्रांक राजस्व/विविध/2020/3750 दिनांक 8.9.2020 पर उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा की गयी कार्यवाही एवं श्रीमान कलेक्टर को भिजवायी गयी वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तथा उस पर श्रीमान द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी दिलवावे।
4. श्रीमान के पत्रांक राजस्व/मु.म./2019/2146 दिनांक 24.6.2020 पर उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की गयी कार्यवाही एवं भिजवाई गयी विस्तुस्थिति की रिपोर्ट तथा उसपर श्रीमान द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करावे।
5. पत्र क्रमांक राजस्व/विविध/2019/6142 दिनांक 20.12.0219 पर श्रीमान उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा की गयी रिपोर्ट एवं उसपर श्रीमान द्वारा की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट की जानकारी दी जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवाई तलबी जरिये नोटिस की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:41:30 IST
Reason: SelfAttested

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौरान सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक आर.टी.आई./2021/24 दिनांक 21.6.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 12.2. 2021 मे चाही गयी सूचना के संबंध में उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी द्वारा जवाब नोटिस से अवगत कराया है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 1.3.2021 को उपजिला कलेक्टर कार्यालय मे प्राप्त होने पर अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना के लिए 66/–रू शुल्क जमा करवाने हेतु जरिये पत्रांक आरटीआई/2021/16 दिनांक

22.3.2021 से लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा आज दिनांक तक शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 12.2.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 6 में चाही गयी सूचना के लिए उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के पत्रांक आरटीआई/2021/16 दिनांक 22.3.2021 को 66/— रू शुल्क जमा करवाने हेतु लिखा गया है जो अधिनियम की तय समय सीमा के बाद लिखा गया है। इसके अतिरिक्त प्र.अ. राजस्व अनुभाग द्वारा भी अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को 15 दिवस मे बिन्दुवार सूचना निःशुल्क उपलब्ध करावायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:41:30 IST
Reason: SelfAttested